न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 29/2023

1 नसीम अख्तर फारूखी पुत्री मरहूम फजलूर्रहमान फारूखी पत्नी तालिब हुसैन फारूखी जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला हुसैनगंज वार्ड नम्बर 13 सीकर हाल निवासी स्थान चन्दवाला ग्राम सोमलपुर तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1 अजीजुर्रहमान पुत्र फजलूर्रहमान फारूखी।
2 हिफजू रहमान फारूखी पुत्र फजलूर्रहमान फारूखी समस्त जाति मुसलमान निवासीगण वार्ड 13 मोहल्ला हुसैनगंज सीकर हाल निवास स्थान बी 40102,103 फिरदोस ए वैशाली क. एचएसजी सोसायटी के सामने वैशाली नगर, एस.वी. रोड़ जोगेश्वरी वेस्ट मुम्बई 400102।
3 उप पंजियक फतेहपुर तहसील व जिला सीकर।
4 हल्का पटवारी कस्बा फतेहपुर जिला सीकर।
5 तहसीलदार फतेहपुर जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व डिक्री एवं निर्णय दिनांक 23.01.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर पीठासीन अधिकारी श्री दयानन्द रूयल आर.ए.एस मुकदमा नम्बर 34/2018 बउनवानी नसीम अख्तर बनाम अजीजूर्रहमान आदि दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री पवन पारीक, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 14.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 34/2018 में पारित निर्णय दिनांक 23.01.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कस्बा फतेहपुर जिला सीकर की तन में कृषि भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 562 रकबा 3.46 हैक्टेयर पुराना खसरा नम्बर 183 रकबा 3.46 हैक्टेयर अवस्थित है। उक्त कृषि भूमि अपीलांट के पिता की स्वअर्जित कृषि भूमि थी। रेस्पोडेंट अजीर्जुरहमान ने कूटरचित वारिस प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराधिकार का नामान्तकरण संख्या 3489 दिनांक 11.12.2006 के द्वारा खातेदारी प्राप्त कर ली। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने पक्ष समोचन करवा लिया। विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवेदन आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 29.06.2018 को प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रावधान उस स्थिति में लागू होते है जब वाद पत्र के पढ़ने मात्र से वाद कारण उत्पन्न नही होना प्रकट होता हो। जबकि वाद पत्र के तथ्यो से वाद कारण प्रकट ही नही हो रहा था बल्कि वाद कारण को अलग से भी वाद पत्र की मद संख्या 6 में अंकित किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा 40वें की रस्म के दिन वादग्रस्त कृषि भूमि को गलत खातेदारी की आड़ में भूमाफिया गिरोह को बेचान करने की धमकी देने पर रिश्तेदारो द्वारा उस समय तो समझाईस करने पर वादिया के हिस्सा की भूमि वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने पर सहमत हो गये परन्तु बाद में समय निकालता रहा एवं दिनांक 29.04.2018 को फोन पर धमकी देकर वादिया का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने से इंकार हो गये व रहन, बय, मुन्तिकिल करने व वादिया को जबरन बेदखल करने की धमकी दी। जिस कारण वाद कारण पैदा हुआ एवं दावा करना आवश्यक हुआ। वाद पत्र से वाद कारण प्रकट नही हो तो वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11क सीपीसी का अवलम्ब लेकर खारिज नही किया जा सकता क्योंकि वाद कारण प्रकट होना या प्रकट नही होना विधि का प्रश्न नही होकर तथ्य का प्रश्न है जो कि विवाधको के विवेचन के पश्चात दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जाना चाहिए था। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्व है। अत अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. (SC) 2015 पेज 245, डी.एन. जे. (3) (Raj) पेज 1219, डी.एन.जे. (Rev) (2) पेज 843, डी.एन.जे. (4)(Raj) पेज 1743 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता ने अपने जीवनकाल में ही अपनी पैतृक व उनके नाम से रेस्पोडेंट संख्या

भू-प्रवन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 व 2 की खरीदशुद्वा सम्पति का विभाजन अपने वारिसान के मध्य तमाम परिजनो की मौजुदगी व जानकारी वादिया उसके पुत्रों, तमाम रिश्तेदारों व आस पड़ौस के लोगों को भलीभांति है। इस पारिवारिक बंटवारे/सेटलमेन्ट के जरिये वादिया नसीम अख्तर एवं हमीदा व ताहिरा बानों के संयुक्त हिस्से में एक किता आवासीय प्लाट वाके मोहल्ला न्यू हुसैन गंज अबूजर मस्जिद के पास आयी थी। इस सम्पति प्लॉट को लेकर वादिया एवं उसकी अन्य बहिन ताहिरा व हमीदा के मध्य विवाद हुआ। जिसका मुकदमा न्यायालय के समक्ष लम्बित रहा। इस दावे में वादिया भी पक्षकार थी। जिसके द्वारा इस मुकदमे में अपना कोई प्रतिदावा पेश नही किया और न ही जाब्ता दीवानी की धारा 88 के अन्तर्गत अन्तरभिवायी दायर किया। जिससे यह प्रमाणित है कि उक्त वाद पत्र व दीगर प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत जवाब दावे में अंकित तथ्यों को वादिया की मौन स्वीकृति होने से सभी तथ्य स्वीकार थे। वादिया को उसके व अन्य बहिनों ताहिर व हमीदा के हिस्से में आए प्लॉट के अलावा दीगर सम्पतियां जो रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के हिस्से, अधिकार, आधिपत्य एवं स्वामित्व में आयी उनसे कोई लेना देना नही था। इसी कारण वादिया ने इस बाबत पूर्व में ज्ञान एवं जानकारी के बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की सम्पतियों को लेकर कोई विवाद उत्पन्न नही किया था। अपीलांट द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय सीकर के समक्ष दायर अपने वाद पत्र में कस्बा फतेहपुर एवं अजमेर जिलों में अवस्थित कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड में कूटरचित कार्यवाही के तहत अकेले रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 का नाम अवैध तरीके से दर्ज करवा लिया। अपीलांट द्वारा इस दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 07.09.2016 को न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर के समक्ष इस्तगासा प्रस्तुत कर दिया गया था जिसके आधार पर FIR No 226/2016 पंजीबद्व हुई। श्रीमान जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष दिनांक 07.09.2016 को अपील संख्या 33/2016 व 34/2016 बउनवानी नसीम बनाम अजीजुर्रहमान आदि प्रस्तुत कर दी थी। अजमेर की कृषि भूमि के मामले में उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष वाद संख्या 71/2017 प्रस्तुत कर दिया था। इन मुकदमो में वादिया ने न्यायालय से जाब्ता दिवानी के आदेश 2 नियम 3 के अन्तर्गत अन्य

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिका
सीकर

सम्पतियों के सम्बंध में पृथक से वाद लाने की कोई अनुमती हासिल नही की है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दायर यह दावा जाब्ता दीवानी के आदेश 2 नियम 2 व 3 की रोशनी में कानूनन चलने योग्य नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि वाद पत्र से वाद कारण प्रकट नही हो तो वाद पत्र को आदेश 7 नियम 11क सीपीसी का अवलम्ब लेकर खारिज नही किया जा सकता क्योंकि वाद कारण प्रकट होना या प्रकट नही होना विधि का प्रश्न नही होकर तथ्य का प्रश्न है जो कि विवाधको के विवेचन के पश्चात दोनो पक्षो की साक्ष्य लेकर ही निर्णित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में विधिक प्रकिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 14.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर